पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–13] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 सितम्बर, 2012 ई0 (भाद्रपद 17, 1934 शक सम्वत्) [संख्या–36

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	545–549	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1197–1216	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

21 अगस्त, 2012 ई0

संख्या 1110/VIII/12–515(रिट)/2005–चूंकि, राज्य में चीनी उद्योग में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मकार संगठनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य में वैकुअम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कर्मकारों तथा सेवायोजकों के मध्य सौहार्द एवं सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का संराधन के द्वारा निस्तारण किये जाने हेतु आदेश संख्या 725/VIII/10–515(रिट)/2004, दिनांक 09 सितम्बर, 2010 एवं संशोधित आदेश संख्या 2082/VIII/10–515(रिट)/2004, दिनांक 11 नवम्बर, 2010 द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक त्रिदलीय समिति का गठन किया गया था;

और, चूंकि, राज्य में वैकुअम पैन चीनी मिलों के कर्मकारों की मुख्यरूप से वेतन पुनरीक्षणकी मांग पर विचार–विमर्श करने हेतु समिति की विभिन्न तिथियों पर बैठक आयोजित हुई और समिति की बैठक दिनांक 22–07–2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 972/VIII/11–515(रिट)/2004, दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड की समस्त वैकुअम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कर्मकारों के वेतन वृद्धि आदि के प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था तथा उप समिति द्वारा त्रिदलीय समिति को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19–09–2011 एवं दिनांक 10–10–2011 को सम्पन्न त्रिदलीय समिति की बैठक में विचार–विमर्शोपरान्त लिये गये निर्णय, "समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को यथेष्ट संस्तुति प्रेषित की जायेगी", के क्रम में अध्यक्ष, चीनी उद्योग त्रिदलीय समिति की संस्तुति श्रम आयुक्त/सदस्य सचिव, चीनी उद्योग त्रिदलीय समिति के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की है;

और चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि लोक सुविधा सुनिश्चत करने, लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिए आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने के लिए अध्यक्ष, चीनी उद्योग त्रिदलीय समिति द्वारा प्रेषित संस्तुति को लागू किया जाना आवश्यक है।

अतएव, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 28, सन् 1947) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में निम्नलिखित आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये:–

आदेश

1. यह आदेश–

(i) राज्य के समस्त वैकुअम पैन चीनी के कारखानों;

(ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "कर्मकार" की परिभाषा के खण्ड से आच्छादित वैकुअम पैन चीनी के कारखानों के सभी कर्मकार;

(iii) (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथापरिभाषित कारखाने के कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया हेतु नियोजित सभी कर्मकार;

(ख) विनिर्माण प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत कारखाने में भूगृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री तथा तैयार माल को निपटाना, लादना या उतारना भी है;

(ग) चीनी के कारखानों के किसी अन्य पंजीकृत संयंत्र और मशीनों तथा भवनों के मरम्मत और अनुरक्षण के लिये लगाये गये सभी कर्मकार; और

(घ) समस्त चिकित्सीय, पैरा मेडिकल और शैक्षिक कर्मचारी, जो वैकुअम पैन चीनी कारखानों से सम्बद्ध हों, पर लागू होगा।

परन्तु

(क) खांडसारी या गुड़ के निर्माण और सहबद्ध उद्योग; या

(ख) पेय या अपेय अल्कोहल उद्योग; या

(ग) कन्फेक्शनरी विनिर्माण उद्योग; या

(घ) कारखाने के बाहर गन्ना फार्म या गन्ने के परिवहन में नियोजित ठेकाश्रमिक;

(ङ) शिशुक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) द्वारा आच्छादित या नियंत्रित शिशुक्षु;

(च) श्रम कल्याण अधिकारी, जिनकी सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश कारखाना अधिकारी कल्याण नियमावली, 1955 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) द्वारा संचालित हैं; एवं

(छ) जिन कर्मकारों पर तृतीय वेतन मण्डल के अनुसार वेतनमान लागू नहीं थे, पर लागू नहीं होगा।

2. कर्मकारों की श्रेणी–

क–आपरेटिव–

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल "ख" कुशल "क", अतिकुशल;

ख–लिपिकीय श्रेणी–चार, लिपिकीय श्रेणी–तीन, लिपिकीय श्रेणी–दो, लिपिकीय श्रेणी–एक;

ग–पर्यवेक्षक श्रेणी (ग), श्रेणी (ख), श्रेणी (क)।

मजदूरी ढांचा

क्र0 सं0	श्रेणी	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	अकुशल	4125–72–4485–78–5655
2.	अर्द्धकुशल	4350–77–4735–83–5980
3.	कुशल 'ख'	5175–90–5625–99–7110
4.	कुशल 'क'	5175–90–5625–99–7110
5.	अतिकुशल	5625–99–6120–108–7740
6.	लिपिक चतुर्थ	5175–90–5625–99–7110
7.	लिपिक तृतीय	5175–90–5625–99–7110
8.	लिपिक द्वितीय	5625–99–6120–108–7740
9.	लिपिक प्रथम	6000–105–6525–113–8220
10.	पर्यवेक्षकीय–'ग'	6000–105–6525–113–8220
11.	पर्यवेक्षकीय–'ख'	6150–108–6690–117–8445
12.	पर्यवेक्षकीय–'क'	6450–113–7015–120–8815

3. परिवर्तनीय महंगाई भत्ता–

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960–100) के त्रैमासिक औसत अंक में से 1563 अंक को कम करने के उपरान्त अंतर को 100 से गुणा कर तथा 1563 से विभाजित कर उसमे 50 घटाने पर जो अंक प्राप्त होगा, मूलवेतन का उतना प्रतिशत महंगाई भत्ता आगणित किया जायेगा; अर्थात्:–

अक्टूबर, 2010 में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता = मूल वेतन का $\frac{(3987-1563)}{1563}100-50$

=105.09% देय होगा।

उक्त महंगाई भत्ते का आगणन पूर्ववत त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा, अर्थात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर की प्रथम तिथि को क्रमशः विगत वर्ष के अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर एवं जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल तथा मई, जून एवं जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर किया जायेगा।

4. उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.10.2010 से लागू होंगे–

पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण निम्न दृष्टांतानुसार किया जायेगा–

दृष्टांत (1) अकुशल श्रेणी

वर्तमान मूल वेतन = ₹ 3406

मूल वेतन का 50%= ₹ 1703

योग = ₹ 5109

पुनरीक्षित वेतनमान में उसका मूल वेतन ₹ 5109 होगा।

दृष्टांत (2) अर्द्धकुशल श्रेणी

वर्तमान मूल वेतन = ₹ 3540
मूल वेतन का 50%= ₹ 1770
योग = ₹ 5310

पुनरीक्षित वेतनमान में उसका मूल वेतन का अगला स्तर ₹ 5316 होगा।

5. सामान्य अनुदेश–

(1) यह आदेश उत्तराखण्ड वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन में देय महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत का मूल वेतन में अर्जन के संबंध में सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग के शासनादेश संख्या 185/06/08/XIV–2/2011, दिनांक 15.02.2011 तथा शासनादेश संख्या 396/06/08/XIV–2/2011, दिनांक 29.03.2011 में दी गई शर्तों के अधीन रहेगी।

(2) चीनी कारखानों तथा संबद्ध इकाइयों में कार्यरत सभी कर्मकार अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुये अधिकतम उत्पादन करेंगे और उत्पादकता बनाये रखेंगे।

(3) कर्मकारों एवं कारखाने के वृहदहित में इकाई की वित्तीय दशा की समीक्षा करते हुये राज्य सरकार के आदेशों के अधीन किसी स्तर पर महंगाई भत्ते का निश्चलीकरण किया जा सकता है, किन्तु पहले से दिये जा रहे महंगाई भत्ते को कम नहीं किया जायेगा।

(4) ऐसे सभी कर्मकार अथवा बहुआयामी व्यक्तित्व बनाये रखने हेतु कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार एवं नवीनतम तकनीक हेतु सदैव तत्पर रहेंगे जिससे उद्योगों का विकास हो सके।

(5) ऐसे सभी कर्मकार अपने नियोजन के दौरान अनुशासन एवं कार्यकुशलता का उच्चतम स्तर बनायें रखेंगे जिससे सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रह सकें।

(6) पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मजदूरी व भत्तों की दरों की प्रसुविधायें दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से संदाय होंगी और 30 सितम्बर, 2015 तक लागू रहेंगी।

(7) यह आदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और सभी सुविधायें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन माह के अन्तर्गत दी जायेंगी।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

ऊर्जा विभाग

विज्ञप्ति–नियुक्ति

22 अगस्त, 2012 ई0

संख्या 1032/I/2012–02(3)20/2003–विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं0–36–2003) की धारा 82 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सदस्य–तकनीकी के चयन हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री के0पी0 सिंह, वर्तमान में सदस्य (Thermal) एवम् पदेन अपर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में सदस्य–तकनीकी के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 65 की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो वेतनमान ₹ 75,000 प्रतिमाह में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त वेतन में महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 385/I–2006–02(2)/10/02, दिनांक 07.03.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय होंगे।

विज्ञप्ति–नियुक्ति

22 अगस्त, 2012 ई0

संख्या 1033/I/2012–02(3)20/2003–विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं0–36–2003) की धारा 82 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सदस्य–वित्त के चयन हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री सी0एस0 शर्मा, वर्तमान में सदस्य (इकोनोमिक्स), मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में सदस्य–वित्त के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 65 की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो वेतनमान ₹ 75,000 प्रतिमाह पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त वेतन में महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या 385/I–2006–02(2)/10/02, दिनांक 07.03.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय होंगे।

आज्ञा से,

डा0 एस0 एस0 सन्धु,
सचिव।

विधान सभा सचिवालय,
उत्तराखण्ड
(अधिष्ठान अनुभाग)
कार्यभार प्रमाणक

25 अप्रैल, 2012 ई0

संख्या 663/वि0स0/453/अधि0/2012–प्रमाणित किया जाता है कि वरिष्ठ निजी सचिव के पद का कार्यभार, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड कार्यालय आदेश संख्या 578/वि0स0/361/अधि0/2007, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 से जैसा कि इसमें बताया गया है, दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पूर्वाह्न/मध्याह्न/अपराह्न में हस्तान्तरित किया गया।

चन्द्र मोहन गोस्वामी,
अवमोचक अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/582–भाग 1–2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 सितम्बर, 2012 ई0 (भाद्रपद 17, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
विज्ञप्ति

27 फरवरी, 2012 ई0

पत्रांक 8044 / आयु0क0उत्तरा0 / विधि–अनुभाग / 11–12 / देहरादून–ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या 3289 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0हरि0 / विधि–अनु0 / 11–12 / दिनांक 15.02.2012 द्वारा 01 व्यापारी व ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर ने अपने पत्र संख्या 3331 / ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0 / विधि–अनु0 / 11–12 / दिनांक 17.02.2012 द्वारा 02 व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार कुल 03 व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित व्यापारियों की सूची संलग्न करते हुए अधिसूचना इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाएगीः–

असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–2, हरिद्वार

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम / पता	टिन	पंजीयन निलम्बन की तिथि
1.	सर्वश्री राम शिव एण्टरप्राईजेज, सीतापुर, जियापोता रोड, जमालपुर कालां, ज्वालापुर	05011248145	14.02.2012

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–द्वितीय, वाणिज्य कर, काशीपुर

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम / पता	टिन	पंजीयन निलम्बन की तिथि
1.	सर्वश्री नंदिनी स्टील्स, जसपुर खुर्द, काशीपुर	05008831487	15.02.2012
2.	सर्वश्री शिखर एण्टरप्राईजेज, जसपुर खुर्द, काशीपुर	05006882272	15.11.2011

विज्ञप्ति

17 मार्च, 2012 ई0

पत्रांक 8296/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/11–12/देहरादून–ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर ने अपने पत्र संख्या 3372/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/विधि–अनु0/11–12/दिनांक 23.02.2012 द्वारा 01 व्यापारी, पत्र संख्या 3436/दिनांक 02.03.2012 द्वारा 01 व्यापारी व पत्र संख्या 3444/दिनांक 03.03.2012 द्वारा 02 व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार कुल 04 व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं।

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित व्यापारियों की सूची संलग्न करते हुए अधिसूचना इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध मानी जाएगीः–

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम, वाणिज्य कर, काशीपुर

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम/पता	टिन	पंजीयन निलम्बन की तिथि
1.	सर्वश्री वासुदेव कार्पोरेशन, मौहल्ला पक्का कोट, मानपुर रोड, काशीपुर	05010447119	29.02.2012
2.	सर्वश्री गंगा एग्रो प्रोडक्टस, कुण्डा, काशीपुर	05007496282	01.03.2012
3.	सर्वश्री आनन्द डिस्ट्रीब्यूटर्स, निवासनगर, काशीपुर	05010020804	01.03.2012

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–द्वितीय, वाणिज्य कर, काशीपुर

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम/पता	टिन	पंजीयन निलम्बन की तिथि
1.	सर्वश्री एक्जोटिव एग्रो एक्सपोर्ट, काशीपुर	05009763754	22.08.2011

डा0 हेमलता ढौंड़ियाल,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति

18 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1736/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/12–13/देहरादून–ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर ने अपने पत्र संख्या 698/ज्वा0कमि0(कार्य0)वा0क0का0/12–13/विधी–अनु0/दिनांक 10.07.2012 द्वारा 01 व्यापारी एवं पत्र संख्या 722/दिनांक 11.07.2012 द्वारा 01 व्यापारी के पंजीयन निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार कुल 02 व्यापारियों के पंजीयन निलम्बित किये गये हैं।

उक्त निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित व्यापारियों की सूची संलग्न करते हुए अधिसूचना इस आशय से जारी की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निलम्बित की तिथि से अवैध मानी जाएगीः–

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–प्रथम, वाणिज्य कर, काशीपुर

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम/पता	टिन	पंजीयन निलम्बन की तिथि
1.	सर्वश्री चेतन मोबाइल वर्ल्ड, काशीपुर	05005945252	11.07.2012
2.	सर्वश्री गंगा एग्रो प्रोडक्ट्स, कुण्डा, काशीपुर	05007496282	08.06.2012

सौजन्या,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

12 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक वा0क0अधि0/व्य0प0/कार्यभार/240/12–माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 380/2012/12(100)/xxvii(8)/03, दिनांक 05.06.2012 के अनुपालन में, मेरे द्वारा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून पीठ के तृतीय सदस्य का अतिरिक्त कार्यभार, आज दिनांक 12.07.2012 की पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

अमित कुमार सिरोही,
एच0जे0एस0,
सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण,
देहरादून, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षर,

रमेश चन्द्र कुकरेती,
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ

कार्यभार प्रमाण–पत्र

14 मार्च, 2012 ई0

पत्रांक वा0क0अधि0/व्य0प0/कार्यभार/81/12–उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 की विज्ञप्ति संख्या 181/2012/06(100)/xxvii(8)/06, दिनांक 05.03.2012 के अनुपालन में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी पीठ, हल्द्वानी का कार्यभार का हस्तान्तरण आज दिनांक 14.03.2012 की अपराह्न में निम्न प्रकार किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि ₹ 2,500 (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) का भी हस्तान्तरण किया गया।

कार्यभार मोचक अधिकारी,

वी0के0 सक्सेना,
सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
हल्द्वानी पीठ, हल्द्वानी।

कार्यभार मुक्त अधिकारी,

रमेश चन्द्र कुकरेती,
प्रभारी सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
हल्द्वानी पीठ, हल्द्वानी।

कार्यभार–प्रमाणक

27 मार्च, 2012 ई0

प्रमाणित किया जाता है कि अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के संख्या 286/XXXI(1)/2012, दिनांक 27 मार्च, 2012 के अनुपालन में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार, आज दिनांक 27 मार्च, 2012 के अपरान्ह ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,

आर0पी0फुलोरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

कार्यभार प्रमाण–पत्र

21 जून, 2012 ई0

उत्तराखण्ड शासन राज्य सम्पत्ति, अनुभाग–1, के प्रोन्नति/विज्ञप्ति आदेश संख्या 921 (i)/XXXii/02(पाँच)–04/2012, दिनांक 21 जून, 2012 के क्रम में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, मुख्य व्यवस्था अधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी) (वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600) के पद का पदभार आज दिनांक 21 जून, 2012 के अपरान्ह में ग्रहण कर लिया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव,
राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

अवमोचक अधिकारी,

डा0 गणेश मिश्र,
मुख्य व्यवस्था अधिकारी
(ज्येष्ठ श्रेणी),
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
उत्तराखण्ड सरकार
नैनीताल– 263 001
UTTARAKHAND ACADEMY OF ADMINISTRATION
UTTARAKHAND GOVERMENT
NAINITAL- 263 001

विज्ञप्ति

08 मई, 2012 ई0

पत्रांक 412/IV–2/2012–उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड कैडर) के अधिकारियों हेतु 02 अप्रैल, 2012 से 28 अप्रैल, 2012 की अवधि में पंचम व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	विषय			
1.	श्री डी0 थिरुज्ञानसम्बदम	A	B	C	D
2.	डा0 साकेत बडोला	A	B	C	D
3.	डा0 विनय कुमार	A	B	C	D
4.	श्री पंकज कुमार	A	B	C	D
5.	श्री राजीव घीमान	A	B	C	D
6.	श्री आकाश कुमार वर्मा	A	B	C	D
7.	श्री धर्म सिंह मीणा	A	B	C	D

विषयक संकेतः

A वन नियम तथा अधिनियम
B बजट एवं वित्तीय प्रशासन
C राजस्व नियम एवं अधिनियम
D अभ्यर्पण कार्य

अवनेन्द्र सिंह नयाल,
अपर निदेशक।

कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा

प्रभार प्रमाण–पत्र

18 मई, 2012 ई0

पत्रांक 482/एस0पी0ए0/मु0वि0अ0/व्य0प0/2012–उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–1 देहरादून के अर्द्ध शा0प0सं0 617/XXX–1–2012 दिनांक 10 मई, 2012 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के पद का पदभार जैसा कि नीचे व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 18–5–2012 के अपरान्ह/पूर्वान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

मुक्त अधिकारी

एस0एस0एस0 पोंगती
जिला विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

मोचक अधिकारी

सी0 रविशंकर
मुख्य विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यभार–प्रमाणक

07 मई, 2012 ई0

पत्र संख्या 28/2012–प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या 542/XXX–1/2012 दिनांक 02 मई, 2012 के अनुपालन में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, अपर सचिव, सहकारिता एवं निबन्धक, सहकारिता उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार आज दिनांक 07 मई, 2012 के पूर्वान्ह् में ग्रहण किया गया।

अवमुक्त अधिकारी

अवमोचक अधिकारी

एम0 सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
सचिव,
सहकारिता विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(प्रशासन प्रभाग)

कार्यालय आदेश

14 मार्च, 2012 ई0

संख्या 185/सू0 एवं लो0सं0वि0 (प्रशा0)–31/2011–सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2, वेतनमान ₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन ₹ 4200), श्री दिनेश चन्द्र पंत को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित), वेतन बैण्ड–2 वेतनमान ₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन ₹ 4600, के रिक्त पद पर तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री दिनेश चन्द्र पंत को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

विनोद शर्मा,
महानिदेशक।

कार्यालय महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

21 जनवरी, 2011 ई0

प0सं0 102/चार–39/2010–उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य प्रशिक्षण सेवा श्रेणी–2 के अधिकारियों हेतु दि0 18–12–2010 से 20–12–2010 की अवधि में विभागीय परीक्षा आयोजित की गयी।

विभागीय परीक्षा 2010 में सम्मिलित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	उत्तीर्ण किये गये प्रश्न–पत्र				
T-10-01	श्री संजीव कुमार प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, राजपुर रोड़, देहरादून	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-02	श्री राजेन्द्र सिंह मर्तोलिया प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, पिथौरागढ़	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-03	श्री जगप्रीतम टम्टा प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, दिनेशपुर, ऊधमसिंह नगर	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-04	श्री उदय राज सिंह प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, कर्णप्रयाग, चमोली	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-05	श्री पंकज कुमार प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, देवाल, चमोली	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-06	श्री अमित कुमार कल्याण प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, असकोट, पिथौरागढ़	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-07	श्रीमती स्मिता अग्रवाल प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, (महिला), हल्द्वानी	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5
T-10-08	श्री मनमोहन कुडियाल प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0, (महिला), देहरादून	STES-1	STES-2	STES-3	STS-4	STS-5

विषय संकेत : (CODE)

STES-1 : Hindi, STES-2 : Fundamental Rules, STES-3 : Financial & Accounts Rules, STS-4 : Training Manual ITI, STS-5 : Training Manual/Apprentice Act.,

अवनेन्द्र सिंह नयाल,
अपर निदेशक।

कार्यालय, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

विज्ञप्ति

22 अगस्त, 2011 ई0

पत्रांक 1449/C/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/12–13–उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य स्थित चीनी मिलों की आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किया जाता है, राज्य की समस्त चीनी मिलों हेतु गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 902/सी/ख/क्रय/ग0आ0/2012–13, दिनांक 21 जून, 2012 द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2012 तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। विगत पेराई सत्र 2011–12 में चीनी मिलों का औसत ड्राल गन्ना उत्पादन के सापेक्ष लगभग 55 प्रतिशत रहा है। पेराई सत्र 2012–13 में राज्य में गन्ना क्षेत्रफल में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पेराई सत्र 2012–13 में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की आवश्यकता हेतु प्राप्त प्रस्तावों के सम्यक् परीक्षण एवं विश्लेषण करने उपरान्त एतद्द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. चीनी मिलें, जिन्होंने पेराई क्षमता का विस्तार नहीं किया है–

उक्त श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता निर्धारण हेतु पेराई सत्र 2011–12 में कुल गन्ने की पेराई के दैनिक औसत (शुद्ध कार्य दिवस के आधार पर) एवं पंजीकृत पेराई क्षमता के आधार पर 160 दिवस का पेराई सत्र मानते हुए निम्नानुसार में से जो अधिक होगा, के आधार पर गन्ना आवश्यकता का आंकलन किया जायेगाः–

पेराई सत्र 2012–13 हेतु गन्ने की आवश्यकता =

पेराई सत्र 2011–12 में की गई कुल गन्ना पेराई का दैनिक औसत×160 दिवस

अथवा

पंजीकृत पेराई क्षमता×160 दिवस

2. चीनी मिलें, जिन्होंने वर्तमान में पेराई क्षमता विस्तारीकरण की अनुमति शासन से प्राप्त की है–

उक्त श्रेणी की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता निर्धारण हेतु पेराई सत्र 2011–12 में कुल गन्ने की पेराई के दैनिक औसत (शुद्ध कार्य दिवस के आधार पर) एवं पंजीकृत पेराई क्षमता के आधार पर 160 दिवस का पेराई सत्र मानते हुए निम्नानुसार में से जो अधिक होगा के आधार पर गन्ना आवश्यकता का आंकलन किया जायेगाः–

पेराई सत्र 2012–13 हेतु गन्ने की आवश्यकता =

पेराई सत्र 2011–12 में की गई कुल गन्ना पेराई का दैनिक औसत×160 दिवस

अथवा

चीनी मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता+विस्तारित पेराई क्षमता का 90 प्रतिशत×160 दिवस

प्रायः यह अनुभव किया गया है कि जिस वर्ष में गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा नियमित रूप से गन्ना कृषकों को नहीं किया जाता है, उससे कृषकों में गन्ने की खेती के प्रति रूचि कम हो जाती है तथा आगामी सत्रों में गन्ने का ड्राईवर्जन भी होता है। पेराई सत्र 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया, अध्यावधिक राज्य की मात्र 1 चीनी मिल आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर द्वारा ही पेराई सत्र 2011–12 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है तथा परिणामस्वरूप चीनी मिलों को कृषकों द्वारा चीनी मिल की आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं की गई।

1. चीनी मिलें, जिन्होंने पेराई क्षमता का विस्तार नहीं किया है–

पेराई सत्र 2011–12 में चीनी मिलों की पंजीकृत पेराई क्षमता, गन्ना पेराई एवं शुद्ध कार्य दिवसों के आधार पर गन्ना पेराई का दैनिक औसत एवं उक्त के आधार पर गन्ना आवश्यकता–

(ईकाई लाख कुन्तल में)

क्र0 सं0	नाम चीनी मिल	पंजीकृत पेराई क्षमता (TCD)	पेराई सत्र 2011–12			कॉलम 3 के आधार पर 160 दिवस हेतु गन्ना आवश्यकता	कॉलम 6 के निर्धारित आधार पर गन्ना 160 दिवस आवश्यकता हेतु गन्ना आवश्यकता कॉलम 7 व 8 में से जो अधिक है
			गन्ना पेराई	शुद्ध कार्य दिवस	गन्ना पेराई का दैनिक औसत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				सहकारी क्षेत्र				
1.	सितारगंज	2500	23.04	106.45	0.22	40.00	35.20	40.00
2.	बाजपुर	4000	35.24	106.57	0.33	64.00	52.80	64.00
3.	गदरपुर	2500	20.63	92.64	0.22	40.00	35.20	40.00
4.	नादेही	2000	20.01	105.51	0.19	32.00	30.40	32.00
				सार्वजनिक क्षेत्र				
5.	किच्छा	4000	34.25	108.00	0.32	64.00	51.20	64.00
6.	डोईवाला	2500	25.69	112.00	0.23	40.00	36.80	40.00
				निजी क्षेत्र				
7.	काशीपुर	4000	25.45	97.00	0.26	64.00	41.60	64.00

2. चीनी मिलें, जिन्होंने वर्तमान में पेराई क्षमता विस्तारीकरण की अनुमति शासन से प्राप्त की है–

चीनी मिलों की स्थापित पेराई क्षमता, गन्ना पेराई एवं शुद्ध कार्य दिवसों के आधार पर गन्ना पेराई का दैनिक औसत तथा वर्तमान पेराई क्षमता+विस्तारित पेराई क्षमता के 90 प्रतिशत के आधार पर गन्ना आवश्यकता

(ईकाई लाख कुन्तल में)

क्र0 सं0	नाम चीनी मिल	स्थापित पेराई क्षमता (TCD)	पेराई सत्र 2011–12			पूर्व में पेराई क्षमता	विस्तारित पेराई क्षमता	कॉलम 8 का 90 प्रतिशत	कॉलम 7+9	गन्ना आवश्यकता		
			गन्ना पेराई	शुद्ध कार्य दिवस	गन्ना पेराई का दैनिक औसत					कॉलम 6 के आधार पर	कॉलम 10 के आधार पर	निर्धारित गन्ना आवश्यकता कॉलम 11 व 12 में से जो अधिक है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						निजी क्षेत्र						
1.	लिब्बरहेड़ी	6250	50.18	134.24	0.37	2500	3750	3375	5875	59.20	94.00	94.00
2.	इकबालपुर	7000	42.66	126.91	0.34	5500	1500	1350	6850	54.40	109.60	109.60
3.	लक्सर	10000	86.92	104.63	0.83	7000	3000	2700	9700	132.80	155.20	155.20

अतः सम्यक् विचारोपरान्त गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं, अवनेन्द्र सिंह नयाल, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों के पेराई सत्र 2012–13 में गन्ने की आवश्यकता के अनुमान निम्नवत् निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा देता हूँः–

पेराई सत्र 2012–13 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता

क्र0 सं0	नाम चीनी मिल एवं स्थान	निर्धारित गन्ना आवश्यकता (लाख कु0)
	जनपद देहरादून	
1.	डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला	40.00
	जनपद हरिद्वार	
2.	लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0, इकबालपुर	109.60
3.	आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर	155.20
4.	उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेड़ी	94.00
	जनपद ऊधमसिंह नगर	
5.	किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा	64.00
6.	काशीपुर शुगर मिल्स लि0, काशीपुर	64.00
7.	दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर	64.00
8.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नादेही	32.00
9.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सितारगंज	40.00
10.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, गदरपुर	40.00

उपरोक्त निर्धारित आवश्यकता से अधिक पेराई किये जाने की स्थिति में तद्नुसार संज्ञान लिया जायेगा।

अवनेन्द्र सिंह नयाल,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून

अधिसूचना

दिनांक 14 अगस्त, 2012

संः एफ–9(21)/आर जी/यूईआरसी/2012/733–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2012

आपत्तियों और कारणों का विवरण

1. प्रस्तावना

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 (इसमें आगे ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा 86(1) (ई), अन्य कार्यों के अलावा राज्य विद्युत नियामक आयोग को निम्नलिखित कार्य भी सौंपता हैः–

''ग्रिड के साथ संयोजन हेतु तथा किसी व्यक्ति को विद्युत के विक्रय हेतु उपयुक्त उपायों का प्रावधान कर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन और उत्पादन प्रोन्नत करना तथा साथ ही ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपभोग का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना।''

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति द्वारा गैर परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के कार्यक्षम अनुपयोग का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी विद्युत नीति में भी नवीकरणीय ऊर्जा के उन्नयन और सुधार हेतु तंत्र का प्रावधान किया गया है। ऐसे स्रोतों की उच्च लागत को देखते हुए शुल्क नीति द्वारा गैर परम्परागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अधिमानी शुल्क तथा परम्परागत स्रोतों के साथ उनके प्रतिस्पर्धक योग्य होने तक ऐसे स्रोतों से ऊर्जा के परिभाषित प्रतिशत के उठाव की गारंटी का प्रावधान आद्यापक किया गया है।

(3) अतः उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि राज्य आयोग का कार्य ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह उत्पादन और उत्पादक को केवल अधिमानी शुल्कों द्वारा प्रोन्नत करना ही नहीं है बल्कि ऐसे उपयुक्त उपाय करना भी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि को प्रभावित कर सके, जैसे कि :

1. ऊर्जा निष्क्रमण हेतु ग्रिड से संयोजन,
2. किसी व्यक्ति को विक्रय, और
3. वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र में उपभोग के प्रतिशत के रूप में क्रय दायित्व।

(4) अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (2) के खंड (zd) के निबंधनों में आयोग में धारा 61 के अधीन शुल्क के निबंधनों और शर्तों पर, अधिसूचना द्वारा, विनियम बनाने की शक्तियां निहित की गई है। अधिनियम की धारा 181(3) के अनुसार विनियम को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व आयोग के लिए उसका पूर्व प्रकाशन करना आवश्यक है।

(5) अधिनियम की धारा 61 और 181(2) के अधीन निहित शक्तियों और सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों के प्रयोग में तथा अधिनियम की धारा 181(3) के अधीन अपेक्षित अनुपालन में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (इसमें इससे आगे ''आयोग'' के रूप में संदर्भित) ने जुलाई 06, 2010 को यूईआरसी(नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क और अन्य निबंधन) विनियम 2010 अधिसूचित किया था, जिस के द्वारा अन्य निबंधनों और शर्तों के अलावा वित्त वर्ष 2010–11 से 2012–13 के लिए वितरण अनुज्ञापी हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) के साथ उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित संयंत्रों के लिए अधिमानी शुल्क भी विनिर्दिष्ट किये। तत्पश्चात् आयोग ने यूईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम 2010 जारी किया। जिसके द्वारा यह उपबंधित किया गया कि यदि बाध्यकारी इन्टिटी किसी वर्ष की अवधि में नवीकरणीय क्रय दायित्व की अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं करती है तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के क्रय द्वारा पूरा किया जा सकता है।

(6) इसके अतिरिक्त, यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 के कुछ उपबंधों की व्याख्या करने, उन्हें समझने और लागू करने में यूपीसीएल और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादक स्टेशनों से विकासकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाईयों के आधार पर आयोग ने 28 अक्टूबर 2010 को यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम 2010, कठिनाईयों का निराकरण (प्रथम) आदेश 2010 जारी किया।

उत्पादकों ने अन्य मामलों के अलावा, वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशनों के साथ उत्पादक स्टेशन को जोड़ने वाली लाईनों की बारम्बार ट्रिपिंग के कारण मानित उत्पादन का मामला उठाया है। इस बारे में आयोग का कहना था:

''नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादक स्टेशनों को अनुज्ञात उपरोक्त रियायतों/शिथिलताओं को देखते हुए, मानित उत्पादन के उपबंधों को लाईनों के दिन प्रतिदिन होने वाली ट्रिपिंग और आउटेज के मामले में आर0ई0 विनियम 2010 के अधीन आवश्यक नहीं माना गया है। तथापि पारेषण और वितरण की अपर्याप्तता के कारण अतिआवश्यक उत्पादन के अवरोध को टालने के लिए दंडात्मक उपबंध आवश्यक है। यह मामला परीक्षण के अधीन है और इस सम्बन्ध में आयोग यूपीसीएल और विकासकर्ताओं के साथ चर्चा के पश्चात् अंतिम निर्णय लेगा।''

(7) वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए यूपीसीएल हेतु गैर सौर्य स्रोतों हेतु निविर्दिष्ट आरपीओ, आपूर्ति के अपने क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को आपूर्ति के उद्देश्य से सभी स्रोतो के क्रय की गई कुल ऊर्जा का 4.50 प्रतिशत था। इसके सापेक्ष यूपीसीएल केवल 4.10 प्रतिशत की अधिप्राप्ति कर पाया तथा अपना आरपीओ को पूरा करने में उसकी कमी रही।

(8) आयोग को बारम्बार ट्रिपिंग और यूपीसीएल की प्रणाली में वोल्टेज उतार चढ़ाव और फलस्वरूप उत्पादन हानि में विकासकर्ताओं द्वारा निरंतर अभिवेदन प्राप्त हो रहे थे। तथापि इस संबंध में यूपीसीएल का रवैया अत्यंत सुस्त पाया गया। अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वितरण प्रणाली का उचित रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे न केवल ग्रिड से ऊंची लागत दरों पर ऊर्जा को बार–बार अति निकासी करने वाले राज्य को अतिरिक्त उत्पादन सुनिश्चित होता बल्कि यूपीसीएल को अपना आरपीओ प्राप्त करने में भी सहायता मिलती। इस पर विचार करते हुए आयोग ने मानित उत्पादन से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित करने के लिये यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया। आयोग ने प्रारूप यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2012 (इसमें इसके पश्चात् प्रारूप विनियम के रूप में संदर्भित) पर सभी स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां आमंत्रित करते हुए 24.03.2012 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया। आयोग ने प्रारूप विनियमों पर चर्चा के लिए 11 जून 2012 और 22 जून 2012 को इस मामले में सुनवाई भी आयोजित की। आयोग ने इस विषय पर उनका दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिये प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल और कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) यूपीसीएल के साथ भी बैठक आयोजित की।

(9) यूपीसीएल और उत्पादकों से कुल मिलाकर 6 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। आयोग ने प्रारूप विनियम पर स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों पर विचार किया। स्टेकहोल्डर्स द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर उचित विचार करने तथा विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् विनियमों को अंतिम रूप दिया गया है।

2. मुद्दे

2.1 प्रयोज्यता

उत्तराखण्ड राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाएं सुदूर एवं पर्वतीय भू–भाग में अवस्थित हैं जहां पारेषण और वितरण प्रणाली की अपर्याप्तता संबंधी अवरोध विद्यमान है जिसके कारण बार–बार ट्रिपिंग, लाईनों का ब्रेक डाउन और वोल्टेज उतार–चढ़ाव होते रहते हैं और उत्पादन की हानि होती है। इसकी तुलना में यूपीसीएल के उप–स्टेशनों के समीप मैदानी क्षेत्रों में अन्य नवीकरणीय स्रोत स्थापित किये गये हैं जहां ऐसी समस्या अधिक मात्रा में या इतनी निरंतर नहीं हो सकती जितनी SHPs के सामने आती है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में केवल 3 सौर उत्पादन संयंत्र, जिनकी संस्थापित क्षमता लगभग 5 एम डब्ल्यू है, उत्तराखण्ड राज्य में रुड़की में लगाये गये हैं। ये संयंत्र एक वर्ष से भी कम समय से प्रचालन में हैं। अतः उनसे ब्रेकडाउन के प्रभाव का परीक्षण करने से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार, वर्तमान में आयोग लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये केवल मानित उत्पादन शर्तें ही विनिर्दिष्ट कर रहा है। तथापि, पर्याप्त डाटा उपलब्ध होने पर बाद में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिये आयोग इस पर विचार कर सकता है।

2.2 व्यवधान/आउटेजेज के कारण अन्तःसंयोजन बिंदु से आगे निष्क्रमण प्रणाली की अनुपलब्धता।

(1) कुछ उत्पादकों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि ग्रिड के पुनः संस्थापन के पश्चात् मशीन को पुनः पूर्ण भार में लाने के लिए लगभग 90 मिनट का समय लगता है। अतः कोई आउटेज चाहे वह 20 मिनट से कम के लिये हो या अधिक के लिये, उसे मानित उत्पादन की ओर माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्पादकों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि एक वर्ष में 480 घंटों की समय सीमा को 12 माहों में बराबर रूप से विभाजित किया जाना चाहिए तथा 40 घंटे/माह से अधिक की हानि पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ उत्पादकों का कहना था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 480 घंटे के ग्रिड फेल्योर की समय सीमा अधिक है तथा 40 घंटे हानि का प्रभाव जनरेटर्स पर 5 से 10 गुना पड़ेगा। अतः 40 घंटे की इस समय सीमा को पूर्णतः हटा दिया जाना चाहिए या एक चौथाई कर दिया जाना चाहिए।

(2) आयोग ने एक समय पर 20 मिनट की समय सीमा तथा आउटेजेज/व्यवधानों के लिये 40 घंटे/माह मानित उत्पादन को छोड़ने हेतु अनुमोदन के मुद्दे पर यूपीसीएल के साथ बैठक में चर्चा की। यूपीसीएल का कहना था कि 20 मिनट की छूट अपर्याप्त होगी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में यदि ब्रेकडाउन होता है तो इसे पुनः स्थापित करने में 12 घंटे लगेंगे। अतः यूपीसीएल ने आयोग से 40 घंटे/माह की सीमा को 48 घंटे/माह तक बढ़ाने का आग्रह किया ताकि एक माह में कम से कम चार ब्रेक डाउन के परिणाम को कवर किया जा सके। उत्पादकों के अनुरोध पर तथा इस मामले में यूपीसीएल का दृष्टिकोण प्राप्त कर आयोग ने आउटेजेज/व्यवधानों के लिये एक समय पर बीस मिनट की समय सीमा को त्यागने का निर्णय लिया है। आयोग ने यूपीसीएल के अनुरोध पर व्यवधानों/आउटेजेज की कुल अवधि भी बढ़ा कर 48 घंटे/माह कर दी है।

(3) एक वर्ष में 480 घंटे की सीमा के संबंध में यह एक ज्ञात तथ्य है कि जल विद्युत परियोजना से उत्पादन मौसमानुसार होता है अर्थात् वर्षाकाल में अधिकतम और शीत काल में न्यूनतम। अतः यूपीसीएल को निष्क्रमण प्रणाली भी अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे लघु जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा अधिकतम उत्पादन हो सके। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि अधिकांश ब्रेकडाउन वर्षाकाल में होते हैं जबकि शीतकाल में ब्रेकडाउन कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। अतः 480 घंटे की संचयी सीमा प्रदान कर यूपीसीएल वर्षाकाल में जब जल उपलब्धता भी अधिकतम होती है, उत्पादन को अधिकतम करने के लिये निष्क्रमण प्रणाली की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त प्रयास करने का इच्छुक नहीं होगा। इस प्रकार, आयोग ने 480 घंटे की वार्षिक सीमा को त्यागने का निर्णय लिया है तथा इसके स्थान पर 48 घंटे/माह की मासिक सीमा रखना तय किया है। नीचे दिये गये उदाहरण ग्रिड व्यवधानों/आउटेजेज के कारण होने वाली उत्पादन हानि भी संगणना को स्पष्ट करेंगेः–

उदाहरण 1: व्यवधानों/आउटेजेज के कारण माहवार मानित उत्पादन की संगणना

I. 8 MW संस्थापित क्षमता वाली परियोजनाऐं

II. माह (ए) की अवधि में उपलब्धता घंटों की कुल सख्या = 720 घंटे

III. माह (ब) की अविध में 'प्रणाली में आउटेज'/व्यवधान के घंटों की कुल संख्या = 50 घंटे

IV. मानित उत्पादन के प्रयोजन हेतु विचार किये जाने वाले घंटों की संख्या = 50- 48 = 2 घंटे

V. माह की अवधि में प्राप्त कुल वास्तविक उत्पादन = 2.28 MUs

VI. मानित उत्पादन (MU) = 2.28 x 2/(720–50) = 0.0068 MU

उदहारण 2 : व्यवधानों/आउटेजेज़ के कारण वार्षिक मानित उत्पादन की संगणना

8 MW परियोजना के लिये वर्ष की अवधि में प्राप्त वास्तविक CUF पर आधारित मानित उत्पादन, वर्ष की अवधि में प्रणाली में माह–वार आउटेजेज़/व्यवधान की वास्तविक संख्या निम्नानुसार है :

माह	माह की अवधि में प्राप्त कुल वास्तविक उत्पादन (MU)	माह की अवधि में प्रणाली में आउटेज/व्यवधान के कुल घंटे	मानित उत्पादन के प्रयोजन से विचार दिये जाने वाले घंटों की संख्या	मानित उत्पादन (MU)
(a)	**(b)**	**(c)**	**(d) = (c) - 48**	**(e)=(b)*(d)/** (एक माह में घंटों की सं0–c)
अप्रैल	*2.28*	*50*	*2*	*0.0068*
मई	*2.59*	*52*	*4*	*0.0150*
जून	*2.74*	*60*	*12*	*0.0498*
जुलाई	*2.95*	*75*	*27*	*0.1191*
अगस्त	*3.30*	*90*	*42*	*0.2119*
सितम्बर	*3.14*	*80*	*32*	*0.1570*
अक्टूबर	*2.95*	*60*	*12*	*0.0518*
नवम्बर	*2.57*	*0*	*0*	*0.0000*
दिसम्बर	*2.36*	*60*	*12*	*0.0414*
जनवरी	*2.12*	*46*	*0*	*0.0000*
फरवरी	*1.97*	*0*	*0*	*0.0000*
मार्च	*2.12*	*42*	*0*	*0.0000*
योग	***31.07***			***0.6527***

2.3 वोल्टेज उतार चढ़ाव

(1) उत्पादकों द्वारा उठाये गये वोल्टेज उतार–चढ़ाव के मुद्दे पर आयोग यह मानता है कि यूपीसीएल प्रणाली में वोल्टेज उतार–चढ़ाव की संख्या बहुतायत से है जिसके कारण प्रायः उत्पादन हानि होती है। इस मुद्दे पर यूपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में समय की चर्चा की गई। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह

समस्या लम्बी दूरी तक निष्क्रमण लाईनों के चलने, अनुपयुक्त भार प्रबंधन और साथ ही उप–स्टेशनों पर संस्थापित उपकरणों के अनुपयुक्त रखरखाव के कारण है। आयोग ने यूपीसीएल की प्रस्तुति को स्वीकार किया है तथापि, यूपीसीएल को अपने उपकरणों को उचित रुप से अनुरक्षित रखने और जहां कहीं आवश्यक हो, उप–स्टेशनों पर कैपेसिटर बॉक्स की संस्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वोल्टेज उतार–चढ़ाव के कारण उत्पादन की हानि न हो। यह सुनिश्चित करने का कार्य यूपीसीएल का है कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने के लिये वह अधिकतम उत्पादन प्राप्त करे अन्यथा उसे आरपीओ के अनुपालन में कमी को पूरा करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रय करने होंगे। अतः आयोग, मानित उत्पादन के रुप में वोल्टेज के उतार–चढ़ाव के कारण हानि को सम्मिलित करना आवश्यक समझता है। तथापि, यूपीसीएल की वर्तमान प्रणाली को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह दृष्टिकोण है कि यूपीसीएल को प्रणाली के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण करने और अपने उप–स्टेशनों पर कैपेसिटर बॉक्स संस्थापित करने के लिये युक्तियुक्त समय प्रदान करना साध्य होगा। आयोग के साथ बैठक में यूपीसीएल के अधिकारियों द्वारा भी यही स्वीकार किया गया। तद्नुसार, आयोग ने वोल्टेज के उतार–चढ़ाव के कारण मानित उत्पादन के संबंध में उपबंध को 01.04.2013 से प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।

(2) आयोग ने तद्नुसार, संशोधित विनियम में निम्नलिखित सम्मिलित करना निर्धारित किया है :–

''यूपीसीएल के लिये, घोषित वोल्टेज के संबंध में यहां नीचे नियत की गई सीमाओं के भीतर परियोजनाओं से अन्तः संयोजन के बिन्दु पर वोल्टेज कायम रखना आवश्यक होगा :–

(a) उच्च वोल्टेज के मामले में+ 6% और – 9%

(b) अति उच्च वोल्टेज के मामले में+ 10 % और - 12.5%

01.04.2013 से प्रभावी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक वोल्टेज परिवर्तन के कारण उत्पादन में कोई हानि।

परन्तु उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं से अत्यधिक वोल्टेज परिवर्तन के कारण हानि न्यूनतम 25% होनी चाहिए।''

यहॉ, 25% की उत्पादन हानि यह दृष्टिगत रखते हुए उपबंधित की गई है कि एक चार यूनिटस् वाले संयंत्र के लिये कम से कम एक यूनिट वोल्टेज उतार–चढ़ाव के कारण ट्रिप्ड या बंद होनी चाहिए, जिसके फलस्वरुप वोल्टेज उतार–चढ़ाव के कारण उत्पादन की प्राप्त हानि होती हो।

वोल्टेज में परिवर्तन/उतार चढाव के कारण होने से पहले 8 *MW* के भार पर चलने वाले एक संयत्र के लिए विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक वोल्टेज में परिवर्तन के कारण हानि केवल मानित उत्पादन हेतु मानी जायेगी यदि वोल्टेज में परिवर्तन/उतार चढाव होने के पश्चात् उत्पादन 6 एमडब्लू तक या उससे और नीचे गिर जाता है।

(3) इसके अतिरिक्त, मानित उत्पादन में सम्मिलित वोल्टेज उतार चढाव के कारण उत्पादन हानि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी :–

''माह की अवधि में, उपरोक्त विनियम (2) के अनुसार मानित उत्पादन (MWh में) की कोई हानि, यदि हो, तो उसे विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रहे वोल्टेज में परिवर्तन के घंटों की संख्या तथा विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उत्पादन हानि (MW में) गुणन का आकलन माना जायेगा। उत्पादन हानि (MW में) निम्नलिखित के मध्य अन्तर होगी :–

(a) वोल्टेज में परिवर्तन होने से पूर्व वास्तविक उत्पादन (MW) के न्यूनतम और विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर पुनः स्थापित वोल्टेज में परिवर्तन के तुरन्त पश्चात्, 90 मिनट पश्चात् प्राप्त उत्पादन (MW में) को वोल्टेज में हुए परिवर्तन की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन के रूप में माना जायेगा, तथा

(b) वोल्टेज में परिवर्तन होने के समय की अवधि में प्राप्त उत्पादन ''

(4) विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर वोल्टेज में प्रत्येक उतार चढाव/परिवर्तन के पुनः स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् 90 मिनट बाद उत्पादन लेने के पीछे की तर्कसंगतता यह है कि कुछ उत्पादकों का कहना था कि ग्रिड के पुनः स्थापित होने के पश्चात् यंत्र को पूर्ण भार में लाने के लिए लगभग 70–95 मिनट लगते हैं। आयोग यह समझता है कि उनके स्टेशन में संस्थापित मीटर्स ABT अनुपालक मीटर्स हैं जिन्हें MRI's के द्वारा पढा जा सकता है। अतः आयोग ने विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर पुनः स्थापित हो जाने पर वोल्टेज में परिवर्तन के तुरन्त पश्चात 90 मिनट बाद प्राप्त उत्पादन पर विचार करना निर्धारित किया है क्योंकि इससे उत्पादक, संयत्र को अधिकतम सम्भव भार तक लाने में सक्षम होगा।

नीचे दिया गया उदाहरण मानित उत्पादन में सम्मिलित वोल्टेज उतार चढ़ाव के कारण उत्पादन हानि की संगणना को स्पष्ट करेगा।

उदाहरण 3: अप्रैल माह के दौरान परिवर्तन के एक उदाहरण के एक मामले पर विचार करते हुए मानित उत्पादन में सम्मिलित वोल्टेज उतार चढ़ाव परिवर्तन के कारण उत्पादन हानि की संगणना

(i) *वोल्टेज परिवर्तन/उतार–चढ़ाव होने के पहले वास्तविक उत्पादन= 6.00 MW*

(ii) *वोल्टेज में परिवर्तन होने के समय की अवधि में उत्पादन*

(a) *आधे घण्टे के लिए 3.50 MW*

(b) *अगले आधे घण्टे में 2.50 MW*

(iii) *वोल्टेज उतार चढ़ाव/परिवर्तन की अवधि*

(a) *आधे घण्टे के लिए पहला परिवर्तन*

(b) *अगले आधे घण्टे के लिए दूसरा परिवर्तन*

(iv) *विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर वोल्टेज पुनः स्थापित हो जाने पर तुरन्त पश्तात् 90 मिनट बाद प्राप्त उत्पादन = 5.00 MW*

(v) *उत्पादन हानि हेतु माना जाने वाला वास्तविक उत्पादन = (i) व (iv) में से न्यूनतम =5 MW*

(vi) *मानित उत्पादन (MWh) = [(iii (a))X(v-ii(a)] + [iii(b)X(v-ii(b))] = ½ X (5.00-3.50) + ½ X (5.00-2.50) = 0.75 + 1.25 = 2.00 MWh*

उदाहरण 4 : 8 MW परियोजना के लिए मानित उत्पादन में सम्मिलित वोल्टेज उतार चढ़ाव/परिवर्तन के कारण वार्षिक उत्पादन हानि की संगणना।

माह	*माह की अवधि में प्राप्त कुल वास्तविक विक्रय योग्य उत्पादन (MU)*	*मानित उत्पादन (MWh)*
(ए)	*(बी)*	*(सी)*
अप्रैल	*2.28*	*0*
मई	*2.59*	*8*
जून	*2.74*	*16*
जुलाई	*2.95*	*0*
अगस्त	*3.30*	*10*
सितम्बर	*3.14*	*0*

अक्टूबर	*2.95*	*8*
नवम्बर	*2.57*	*9*
दिसम्बर	*2.36*	*3*
जनवरी	*2.12*	*2*
फरवरी	*1.97*	*3*
मार्च	*2.12*	*2*
योग	***31.07***	***61***

उदाहरणः 5 मानित उत्पादन का समायोजन

(a) *45% के CUF पर कुल वार्षिक विक्रय योग ऊर्जा = 31.22 MU .*

(b) *वास्तविक विक्रय योग्य उत्पादन = 31.07 MU.*

(c) *अन्तः संयोजन बिंदु से आगे निष्क्रमण प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण मानित उत्पादन (उदाहरण 2 से) = 0.6527 MU*

(d) *वोल्टेज उतार चढ़ाव के कारण मानित उत्पादन (उदाहरण 5 से) =61 MWh =0.061 MU*

(e) *कुल मानित उत्पादन = 0.6527+0.061=0.7137 MU*

(f) *वास्तविक वार्षिक विक्रय योग्य उत्पादन और कुल मानित उत्पादन (बी+ई) का योग = 31.07+0.7137=31.7837 MU*

यहाँ, चूंकि वर्ष की अवधि में वास्तविक योग्य ऊर्जा, 45 प्रतिशत के *CUF* से कम है अतः उत्पादन संशोधित विनियम के अधीन मानित उत्पादन हेतु योग्य है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वास्तविक वार्षिक योग्य उत्पादन और 31.7837 *MU* के मानित उत्पादन का योग, 45 प्रतिशत के *CUF* पर 31.22 *MU* की वार्षिक विक्रय योग्य ऊर्जा से अधिक है, अतः केवल 0.15 *MU* का मानित उत्पादन ही *CUF* की विनिर्दिष्ट सीमा के समतुल्य 31.07 *MU* की वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा के अतिरिक्त अनुज्ञात होगा।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख करना भी सुसंगत होगा कि मानित उत्पादन हेतु यू.पी.सी.एल. द्वारा भुगतान किये गये किन्हीं प्रभारों को शुल्कों के पास थ्रू रूप में अनुमोदित नहीं किया जायेगा, चूंकि मानित उत्पादन यू.पी.सी.एल. की अदक्षता के कारण लागू होगा तथा किसी भी अदक्षता को पास थ्रू रूप में अनुमोदित कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अतः उसे ऐसे प्रभारों को वहन करना होगा।

2.4 पूर्वव्यापी अनुप्रयोज्यता

(1) एक उत्पादक का कहना था कि ग्रिड विफलता, वोल्टेज उतार—चढ़ाव और यू.पी.सी.एल. द्वारा की जा रही रोस्टरिंग के कारण उत्पादको को भारी रूप से पीड़ित होना पड़ रहा है। अतः पुरानी परियोजनाओं के लिये यह लाभ 06.07.2010 से पूर्व व्यापी रूप से उपलब्ध कराया जाये।

(2) इस संबंध में यह उल्लेख करना तर्कसंगत होगा कि विनियम को पूर्व व्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश राज्य बनाम टीकम दास (1975) 2 एससीसी 100 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनस्थ विद्यायन को तब तक पूर्व व्यापी प्रभाव नहीं किया जा सकता जब तक कि मूल संविधि के अधीन विशिष्ट रूप से ऐसा प्राधिकृत न किया गया हो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया सुसंगत प्रेक्षण निम्नलिखित हैः—

''इस में कोई शंका नहीं है कि प्रभुता सम्पन्न विधानमंडल द्वारा बनाये गये विधायन से विजातीय एक प्रतिनिधि द्वारा बनाये अधिनस्थ विधायन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता जब तक कि संबधित विधि में निमित बनाने की शक्ति व्यक्त रूप से या आवश्यक अलिप्तियों द्वारा इस नियत शक्तियां प्रदत्त न हो''

(3) इसके अतिरिक्त, माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 12 जुलाई, 2010 को अपील सं0 2009 का 179 में भी निम्नलिखित प्रेक्षण किया है:

'' विद्युत अधिनियम, 2003 जिसके अधीन संबधित आयोगों द्वारा विनियम संरचित किये जा रहे हैं, आयोग को पूर्व व्यापी रूप से लागू होने वाले विनियम बनाने की अनुमति नहीं देता है।''

इस प्रकार, संशोधन विनियम अधिसूचना की तिथि से ही लागू होगा।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 (प्रमुख विनियम) के संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और व्याख्या :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 होगा।

(2) ये विनियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रमुख विनियम के विनियम 3(1)(i) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगाः

(i)(a) "अपरिहार्य घटना" से किसी पक्ष के सम्बन्ध में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति अभिप्रेत है जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण के भीतर का उस पक्ष के किसी कार्य या उसके लोप के कारण नहीं है तथा जिसे युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता के प्रयोग से वह पक्ष पूर्ववर्ती की व्यापकता को सीमित किये बिना सहित रोकने में असमर्थ है:

i. आकाशीय बिजली, तूफान, भूकम्प, बाढ़ प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक प्रकोप;

ii. सार्वजनिक शत्रुता के कार्य, नाकेबंदी, बगावतें, दंगे, क्रांति और तोड़फोड़;

iii. अपरिहार्य दुर्घटना, जिसमें आग, धमाका, रेडियो सक्रिय संदूषण और हानिकारक रसायन संदूषण सम्मिलित हैं किन्तु जो इन तक सीमित नहीं है।

3. प्रमुख विनियम के विनियम 44 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगाः

44(ए) मानित उत्पादन

(1) परियोजना के *CoD* के पश्चात् निम्नलिखित या निम्नलिखित में से एक जिससे वाटर स्पिलेस् (Water Spillage) हो, के कारण स्टेशन पर हानि, मानित उत्पादन में गिनी जायेगीः

– अन्तः संयोजन बिंदु से आगे निष्क्रमण प्रणाली की अनुपलब्धता; और

– एसएलडीसी द्वारा बैकिंग डाउन अनुदेशों की प्राप्ति।

परन्तु मानित उत्पादन में निम्नलिखित की गणना नहीं की जायेगीः

i. पूर्वोक्त कारकों के कारण स्टेशन पर उत्पादन हानि किन्तु जिसका कारण अपरिहार्य घटना (ओं) हों;

ii. उस अवधि, जिसमें ऊपर (i) के अधीन असम्मिलित से अन्यथा ऐसे आउटेजेज़/व्यवधान की कुल अवधि एक माह में 48 घंटे की सीमा के भीतर है, के दौरान उपरोक्त कारक (कों) के कारण व्यवधानों/आउटेज़ के कारण स्टेशन पर उत्पादन हानि; तथा

(2) यूपीसीएल के लिये, घोषित वोल्टेज के संदर्भ में नीचे नियत की गई सीमा के भीतर परियोजना अन्तः संयोजन के बिंदु पर वोल्टेज बनाये रखना आवश्यक होगाः

(a) उच्च वोल्टेज के मामले में, +6% और –9%; तथा,

(b) अति उच्च वोल्टेज के मामले में, +10% और –12.5%

01.04.2013 से प्रभावी, ऊपर विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर वोल्टेज में परिवर्तनों के कारण उत्पादन में कोई हानि मानित उत्पादन मानी जायेगी

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उत्पादन में हानि न्यूनतम 25% होनी चाहिये।

(3) ऊपर उप–विनियम 1 और 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे कारक (कों) के कारण आउटेज़/व्यवधान की अवधि का संकलन मासिक आधार पर किया जायेगा तथा ऊपर उप–विनियम (i) व (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट घटनाओं को लेखे में लेते हुए मानित उत्पादन में स्टेशन पर उत्पादन हानि, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए संगणित की जायेगी।

(i) उपरोक्त लेखे में वसूली स्वीकार होगी यदि वर्ष की अवधि में उत्पादित वास्तविक ऊर्जा लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु स्थिर प्रभारों की वसूली के लिये विनिर्दिष्ट, 45% के मानकीय सीयूएफ से कम है। यदि वर्ष की अवधि में उत्पादित वास्तविक ऊर्जा और मानित उत्पादन का योग, 45% के विनिर्दिष्ट मानकीय सी.यू.एफ. से अधिक होता है तो उत्पादित वास्तविक ऊर्जा के साथ–साथ मानित उत्पादन 45% के सीयूएफ तक ही अनुमोदित होगा।

(ii) माह की अवधि में, ऊपर उप–विनियम (1) के अनुसार मानित उत्पादन की उत्पादन हानि, यदि कोई है तो इसे उस माह की अवधि में प्राप्त वास्तविक औसत उत्पादन के आधार पर खोये घंटों की संख्या को प्रणाली में हुए आउटेज़/व्यवधान के घंटों की संख्या से कम कर माह की अवधि में उपलब्ध घंटों की कुल संख्या से विभाजित कर यथानुपात आधार पर विचारित किया जायेगा।

(iii) माह की अवधि में, ऊपर उप–विनियम (2) के अनुसार मानित उत्पादन (एम.डब्ल्यू.एच. में) की उत्पादन हानि, यदि कोई है तो इसे विनिर्दिष्ट सीमा से बाहर वोल्टेज में परिवर्तन रहे समय के घंटों की संख्या और विनिर्दिष्ट सीमा से बाहर वोल्टेज में परिवर्तन के कारण उत्पादन हानि (एमडब्ल्यूएच में) के योग के रूप में विचारित किया जायेगा। उत्पादन हानि (एम.डब्ल्यू. में) निम्नलिखित के मध्य का अंतर होगाः

(a) वोल्टेज में परिवर्तन होने से पूर्व वास्तविक उत्पादन (*MW* में) और विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर वोल्टेज़ में परिवर्तन पुनः स्थापित होने के तुरन्त बाद 90 मिनट पश्चात् प्राप्त उत्पादन (*MW*. में) में से न्यूनतम को वोल्टेज परिवर्तन होने के समय की अवधि का वास्तविक उत्पादन माना जायेगा; तथा

(b) वोल्टेज में परिवर्तन होने के समय की अवधि में प्राप्त उत्पादन।

(4) यूपीसीएल, आयोग द्वारा समय–समय पर संशोधित आर.ई. विनियमों के उपबंधों के अधीन वर्गीय/परियोजना विशिष्ट शुल्कों पर उपर्युक्त लाईन्स पर मानित उत्पादन के आधार पर ज्ञात लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये वार्षिक आधार पर विक्रय योग्य मानित उत्पादन हेतु भुगतान करेगा। मानित उत्पादन प्रभारों के भुगतान का निपटारा वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने पर तीन माह के भीतर किया जायेगा।

(5) मानित उत्पादन हेतु यूपीसीएल द्वारा भुगतान किये गये किन्हीं प्रभारों को शुल्क में पास थ्रू व्यय के रूप में अनुमोदित नहीं किया जायेगा।

(6) ऊपर नियत की गई मानित उत्पादन शर्तें केवल उन सभी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू होंगी जिन्होंने यूपीसीएल के साथ प्रधान विनियमों में उल्लेखित अधिमान्य दरों पर दीर्घकालिक पीपीए हस्ताक्षरित किये हो।

इसके अतिरिक्त, मानित उत्पादन शर्तें केवल उन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू होंगी जहां निष्क्रमण लाईन 11 के.वी. या उससे उच्च वोल्टेज ग्रिड उप–स्टेशन से संयोजित हैं।

(7) ऊपर नियत की गई मानित उत्पादन शर्तें सरकारी गजट में संशोधन विनियम के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

आयोग की आज्ञा से,

(नीरज सती),

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/582–भाग 1–क–2012 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।